न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 36/2019

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. भंवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल 2. ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल 3. जुगलकिशोर पुत्र श्री मोहनलाल 4. सुरेशकुमार पुत्र श्री मोहनलाल 5. घनश्याम पुत्र श्री मोहनलाल 6. मोतीलाल पुत्र श्री मोहनलाल 7. श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी श्री मोहनलाल 8. श्रीमती मांगीदेवी पत्नी श्री भंवरलाल 9. श्रीमती सुशीला पत्नी श्री ओमप्रकाश सभी जातियान माहेश्वरी सोनी, निवासीगण-ग्राम ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1. ग्राम पंचायत ओसियां जरिये सरपंच पंचायत समिति ओसियां जिला जोधपुर 2. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1459 दिनांक 19.06.1990 जो तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:-
1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री मंछाराम ताडा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 13.08.2019

अपीलान्ट भंवरलाल पुत्र श्री मोहनलाल जाति माहेश्वरी सोनी निवासी ग्राम ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत ओसियां जरिये सरपंच जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 19.06.1990 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1459 ग्राम ओसियां को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1585/6 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा किस्म गै. मु. आबादी वाके ग्राम ओसियां में स्थित है एवं पूर्व में उक्त वर्णित खसरा नम्बर 1585/06 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के पूर्वज मोहनलाल पुत्र श्री लिछमीनारायण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। मोहनलाल द्वारा उक्त खसरे की भूमि को अपीलार्थीगण को बख्शीश करने पर नामान्तरकरण संख्या 1435 स्वीकृत किया गया, जिसके तहत अपीलार्थीगण को उक्त खसरे की भूमि के रेकर्डेड खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अपीलार्थीगण ने उक्त खसरे की भूमि को किस्म बारानी चतुर्थ से किस्म गै.मु आबादी में संपरिवर्तन करने हेतु आवेदन करने पर उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा गै.मु. आबादी में संपरिवर्तित करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1459 स्वीकृत करते समय खसरा नम्बर 1585/6 की भूमि प्रत्येक हिस्सेदार (अपीलार्थीगण) पृथक–पृथक 500 वर्गगज जमीन आबादी में संपरिवर्तन करने का आदेश दिया, परन्तु उक्त भूमि प्रत्येक खातेदार (अपीलार्थीगण) के नाम से अलग–अलग भूमि दर्ज नहीं कर उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि को प्रत्यर्थी संख्या–1 ग्राम पंचायत ओसियां के नाम दर्ज कर दिया। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1459 से व्यथित होकर प्रत्यार्थी संख्या–2 द्वारा प्रत्यार्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि करने, अपीलार्थीगण द्वारा केवल भूमि की किस्म गै.मु. पेट्रोल पम्प से गैर मुमकिन धर्मशाला में संपरिवर्तित हेतु तथा प्रत्येक खातेदार के नाम अलग–अलग भूमि दर्ज किये जाने हेतु आवेदन किया परन्तु प्रत्यार्थी संख्या–2 द्वारा भूमि की किस्म परिवर्तित कर उक्त खातेदारी की भूमि को राजस्व रेकर्ड में प्रत्यार्थी संख्या–1 ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने, अपीलार्थीगण का मौके पर हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त होने के बावजूद अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आलौच्य नामान्तरकरण पारित किया जाने, आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 19.06.1990 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1459 ग्राम ओसियां को आंशिक रुप से निरस्त किये जाकर खसरा नम्बर 1585/6 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि की किस्म गै.मु आबादी को यथावत रखते हुए उक्त भूमि को अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने तथा प्रत्येक खातेदार के नाम अलग–अलग भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्टस की अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई। तहसीलदार, ओसियां से मूल रेकर्ड भी तलब किया गया।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मंछाराम ताडा ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 19.06.1990 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1459 ग्राम ओसियां को आंशिक रुप से निरस्त किया जाकर खसरा नम्बर 1585/6 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि की किस्म गै.मु आबादी को यथावत रखते हुए उक्त भूमि को अपीलार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने तथा प्रत्येक खातेदार के नाम अलग-अलग भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार ओसियां द्वारा ग्राम ओसियां के खसरा नम्बर 1585/6 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु आबादी का दिनांक 19.06.1990 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1459 पूर्णतया विधिसम्मत व सही होने से उक्त नामान्तरकरण संख्या 1459 ग्राम ओसियां को यथावत रखने व अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 1585/6 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा किस्म गै. मु. आबादी वाके ग्राम ओसियां पूर्व में किस्म बारानी-चतुर्थ अपीलार्थी के पूर्वज मोहनलाल पुत्र श्री लिछमीनारायण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसको मोहनलाल द्वारा अपीलार्थीगण को बख्शीश करने पर नामान्तरकरण संख्या 1435 स्वीकृत करने पर अपीलार्थीगण को उक्त खसरे की भूमि के रेकर्डेड खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त खसरे की भूमि को किस्म बारानी चतुर्थ से किस्म गै.मु आबादी में संपरिवर्तन करने हेतु आवेदन करने पर उक्त भूमि को तहसीलदार ओसियां द्वारा गै.मु. आबादी में संपरिवर्तित करते हुए आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1459 स्वीकृत करते समय अपीलार्थीगण को पृथक-पृथक 500 वर्गगज जमीन आबादी में संपरिवर्तन करने का आदेश दिया किन्तु उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम से

अलग–अलग भूमि दर्ज नहीं कर उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि ग्राम पंचायत ओसियां के नाम दर्ज कर दी गयी। अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार ओसियां द्वारा दिनांक 19.06.1990 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1459 ग्राम ओसियां निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार ओसियां को आदेश दिया जाता है कि प्रचलित राजस्व नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार ओसियां को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर